सं0सं0-3/सी0एस0/एम0-21/2021 798

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

सुमन कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

श्री नीतीश मिश्रा,
पूर्व माननीय मंत्री, बिहार।
112, कौटिल्य नगर, पटना-800014

पटना-15, दिनांक- 19/8/2021

विषय : जनप्रतिनिधियों के पत्र प्राप्ति एवं कृत कार्रवाई की सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर दिशा-निर्देश निर्गत करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक-250/2021, दिनांक-27.07.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा जनप्रतिनिधियों के पत्र प्राप्ति एवं कृत कार्रवाई की सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर दिशा-निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार ने पत्रांक-523, दिनांक-27.07.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिहार सरकार के प्रशासन एवं सांसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के बीच सरकारी कार्य व्यवहार में उचित प्रक्रियाओं के अनुपालन के संबंध में दिशा-निर्देशों को पुनः अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पदाधिकारियों / कर्मचारियों के बीच परिचालित कर इनका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश निर्गत किया है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/08/2021
(सुमन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

E:\Kamlesh\Jhabbu 2021.doc

त्रिपुरारि शरण भा०प्र०से०
मुख्य सचिव
TRIPURARI SHARAN, I.A.S
Chief Secretary

बिहार सरकार,
मुख्य सचिवालय, पटना–800 015
Government of Bihar
Main Secretariat, Patna-800 015
Tel.: 0612-2215804, Fax: 0612-2217085
E-mail : cs-bihar@nic.in

महत्वपूर्ण

पत्र संख्या–सं०का0–1/विविध–609/2004(पार्ट)–523/ दिनांक–27-7-2021

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
पुलिस महानिदेशक, बिहार,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ सभी पुलिस उप महानिरीक्षक,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/जिला पुलिस अधीक्षक/रेल पुलिस अधीक्षक।

विषय : *प्रशासन एवं सांसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के बीच सरकारी कार्य व्यवहार में उचित प्रक्रियाओं के अनुपालन के संबंध में।*

प्रसंग : *कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना प्रशाखा, भारत सरकार का पत्र संख्या–11013/4/18-Estt(A)III दिनांक 15.03.2021.*

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सांसद एवं विधान मंडल के सदस्य जनता के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हमारे जनतंत्रीय ढांचे में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के क्रम में उन्हें प्रायः भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकार के विभागों से सूचना मांगने, उनके विचारार्थ सुझाव देने अथवा अधिकारियों के साथ मुलाकात करना आवश्यक हो जाता है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्रों के आलोक में संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा भी प्रशासन एवं सांसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के बीच सरकारी कार्य व्यवहार में उचित प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। सांसद तथा विधान मंडल के सदस्यों के पत्रों के तत्काल निपटान के संबंध में दिशा–निर्देशों को भी समय–समय पर दोहराया जाता रहा है। तथापि उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के यदा–कदा अनुपालन न किये जाने के उदाहरणों के दृष्टिगत लोक सभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा मौजूदा अनुदेशों को समेकित करने और दोहराने की आवश्यकता अनुभव की गयी। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रासंगिक पत्र के साथ पूर्व के निर्गत संबंधित पत्रों की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ पुनः प्रेषित की गयी है। सुलभ प्रसंग हेतु इन पत्रों को संलग्न की जाती है।

अनुरोध है कि प्रशासन एवं सांसद तथा विधान मंडल के सदस्यों के बीच सरकारी कार्य व्यवहार में उचित प्रक्रियाओं के अनुपालन के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों को पुनः अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पदाधिकारियों/कर्मियों के बीच परिचालित कर इनका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित दिशा–निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायगा। इनके कार्यान्वयन की समयबद्ध समीक्षा की जाय।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन,

27/7/21

(त्रिपुरारि शरण)

अपर मुख्य सचिव, कोषांग,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
डायरी संख्या 2345
दिनांक 04/08/2021

नीतीश मिश्रा
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

सदस्य
बिहार विधान सभा

Ref: 250/2021
Dt-27-7-2021

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

विषयः—**जनप्रतिनिधियों के पत्र प्राप्ति की सूचना एवं कृत कार्यवाही की जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर एक Advisory निर्गत कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने के संबंध में।**

महाशय,

यह सर्व विदित है कि राज्य में जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व बनता है कि क्षेत्र भ्रमण अथवा अन्य माध्यम से जनता की समस्याओं के संबंध में जिला प्रशासन अथवा विभिन्न विभागों को पत्र एवं अन्य माध्यमों से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाय।

जनप्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इस क्रम में प्रायः यह देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन को अथवा सरकार के पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर जनसमस्या से अवगत कराते हैं अथवा सुझाव देते हैं, किन्तु महीनों बीत जाने के बावजूद उन समस्याओं का निस्तारण तो दूर की बात है, पत्र पावती की सूचना भी प्रेषित नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में जन समस्याओं के निराकरण हेतु किये गये कार्य की जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधि जनता को समुचित उत्तर उपलब्ध कराने में अपने आपको असमर्थ महसूस करते हैं।

भारत सरकार के सभी मंत्रालय में ऐसी व्यवस्था है कि देश के विभिन्न राज्यों के भी जनप्रतिनिधि अगर पत्र व्यवहार करते है तो उसका प्रत्युत्तर अवश्य देते है।

अतः अनुरोध है कि जनप्रतिनिधियों की भावना को देखते हुये पत्र प्राप्ति की सूचना एवं कृत कार्यवाही की जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर एक **Advisory** निर्गत कराने एवं उनके अनुपालन के संबंध में गाइड लाईन जारी करने हेतु समुचित विचार करना चाहेंगे।

शुभकामनाओं के साथ!

भवदीय

Nitish Mishra

(नीतीश मिश्रा) 27.7.21

112, कौटिल्य नगर, पटना 800014
Tel. : 0612 222 6263 Fax : 0612 222 5218 E-mail : nitishmishraoffice@gmail.com
/NitishMishraOfficial @mishranitish www.jhanjharpur.co.in